न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स/05/2019

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1—भावसिंह पुत्र सुक्खनराम हि0 1/4 जाति नाई सा0 गोपालगढ भरतपुर
2—राजवीर सिंह पुत्र सुक्खनराम हि0 1/4 जाति नाई सा0 गोपालगढ भरतपुर
3—बद्रीप्रसाद पुत्र जादू हि0 1/4 जाति धोबी सा0 जघीना तहसील भरतपुर
4—जोधा पुत्र सोना हि0 1/4 जाति धोबी सा0 जघीना तहसील भरतपुर

.....अप्रार्थी0

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 व9 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, बाबत आराजी खसरा नम्बर 281/3127 रकबा 0.06 ग्रांम कस्बा भरतपुर चक नं.03 तहसील भरतपुर।

उपस्थित :—

1—पैरोकार सरकार, प्रार्थी,
2—श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक अप्रार्थी—1व2,

निर्णय दिनांक 27.12.2024

प्रार्थी0 ने यह रैफरेन्स विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया है, संक्षेप में विवरण इस प्रकार है—गत खसरा नम्बर 1758 रकबा 14 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 281/3127 रकबा 0.06 है0 कस्बा चक न0 3 में स्थित हैं, जमाबन्दी सम्वत 2026 खतौनी संख्या 135 में छोटेलाल बल्द तुलसी कौम माली के खाते में दर्ज रिकार्ड थी। हाल आराजी खसरा नम्बर 281/3127 रकबा 0.06 है0 कस्बा चक न0 3 में भावसिंह पुत्र सुक्खन हि0 1/4, राजवीर सिंह पुत्र सुक्खनराम 1/4, जाति नाई सा0 गोपालगढ भरतपुर खातेदार, बद्रीप्रसाद पुत्र जादू हि0 1/4 जाति धोबी सा0 जघीना, जोधा पुत्र सोना हि0 1/4 जाति धोबी सा0 जघीना तहसील भरतपुर खातेदार दर्ज हैं। उक्त विवादित आराजी मौके पर सी.एफ.सी.डी. के बहाब क्षेत्र में स्थित है। तथा विवादित आराजी नगर निगम भरतपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबधित भूमि की श्रेणी में आती है, अप्रार्थी0 ने मिलीभगत करके जलभराव क्षेत्र में खातेदारी प्राप्त करली है जो अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी0 की खातेदारी निरस्त करने योग्य है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा सी.एफ.सी.डी. बहाब क्षेत्र भूमि पर अवैध रुप से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कलमजन कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। अप्रार्थी–4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी संख्या–3 गांव जघीना में नहीं रहता है इसका उल्लेख आदेशिका दिनांक 12.7.23 में किया गया है। पैरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी 1 व 2 की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 281/3127 रकबा 0.06 है0 कस्बा चक न0 3 में भावसिंह पुत्र सुक्खन हि0 1/4, राजवीर सिंह पुत्र सुक्खनराम 1/4, जाति नाई सा0 गोपालगढ भरतपुर खातेदार, बद्रीप्रसाद पुत्र जादू हि0 1/4 जाति धोबी सा0 जघीना, जोधा पुत्र सोना हि0 1/4 जाति धोबी सा0 जघीना तहसील भरतपुर खातेदार दर्ज हैं। उक्त विवादित आराजी मौके पर सी.एफ.सी.डी. के बहाब क्षेत्र में है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है अप्रार्थी0 ने मिलीभगत करके जलभराव क्षेत्र में खातेदारी प्राप्त करली है जो अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रेक्ष्य में उनकी खातेदारी निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय बहाब क्षेत्र भूमि पर अवैध रुप से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कराये जाने एवं विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। जिसमें वर्तमान में मकानात बने हुये हैं। जिस से पानी भाव सी.एफ.सी.डी. किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। विवादित आराजी की भूमि किस्म बंजर दर्ज है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि पहले इस भूमि का खातेदारी छोटेलाल था, छोटेलाल से प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की थी। विवादित आराजी न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित है और ना हीं अब्दुल रहमान प्रकरण के सिद्धात से प्रभावित है। विवादित आराजी कभी भी नहर की भूमि या पानी बहाब क्षेत्र की नहीं रही है। विवादित आराजी सम्वत् 2012 से पूर्व से ही खातेदारों की कब्जे काश्त की

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

भूमि रही है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया।

विचाराधीन प्रकरण रेफरेन्स में निम्न बिन्दू तय किये जाने हैं :–

1– क्या विवादित आराजी खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 1758 रकवा 14 विस्वा, से वने हाल खसरा नम्बर 281/3127 रकबा 0.06 है0 कस्वा चक न0 3 सी.एफ.सी.डी. के बहाव क्षेत्र में है ?
2– क्या विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है?

बिन्दू संख्या 1 व 2 – जमाबन्दी सं. 2026 कस्वा भरतपुर चक. न. 3 में विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1758 रकबा 14 विस्वा पर भूमि किस्म कॉलम संख्या 8 में चाही, गै.मु.परत पुरातन का अंकन हो रहा है तथा कॉलम संख्या–5 में छोटेलाल बल्द हुक्मी जाति माली सा. सूरजपोल खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043–2062 के अनुसार गत आराजी खसरा नम्बर 1758 रकवा 14 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 281/3127 रकवा 0.06 ऐयर बनाया जाना दर्शाया गया है। जमाबन्दी सं. 2072–2075 में विवादित हाल खसरा नम्बर 279/3131 रकवा 0.02 ऐयर पर अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज हैं। जमाबन्दी सं. 2026 कस्वा भरतपुर चक. न. 3 में विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1758 रकबा 14 विस्वा पर भूमि किस्म कॉलम संख्या 8 में विवादित आराजी की भूमि किस्म चाही, गै.मु.परत पुरातन के अंकन से स्पष्ट है कि विववादित आराजी सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में नही आती है और नाहीं राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित की श्रेणी की दर्ज है। तहसीलदार भरतपुर ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। अस्तु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–12–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर